


बिन्दु क्रमांक 1

प्रशासनिक प्रतिवेदन में सामान्यतया संरचनात्मक ढांचा दिया जाता है । कार्यालयीन स्तर पर यदि यह उपलब्ध न हो तो पृथक से बनाकर प्रपत्र में डाला जाये ।

अ) जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का प्रशासनिक संरचनात्मक ढांचा

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का प्रशासनिक संरचनात्मक ढांचा निम्नवत् है :-




बिन्दु क्रमांक 2

कार्यालय मे पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य, तथा परिलब्धियां संबंधि जानकारी दी जाए ।

क्र०	प्रभारी अधिकारी	सौंपा गया कार्य
1	2	3
1	श्री आर.सी. मेहता सहायक सांख्यिकी अधिकारी	सांसद निधि, समीक्षा बैठक, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं समय समय पर जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
2	श्री एस.सी. जोशी सहा.सां. अधिकारी	जीवनांक से संबंधित समस्त कार्य एवं सर्वे 65 वां दौर तथा जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
3	श्री जगदीश बावरी अन्वेषक	समस्त प्रकाशन, समस्त सांख्यिकी कार्यो की जानकारी एवं मासिक तथा त्रैमासिक जानकारी, वार्षिक एवं अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन संचालक को प्रेषण, विधायक स्वेच्छानुदान एवं जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
4	श्री डी.डी. बैरागी अन्वेषक	विधायक निधि एवं समय समय पर जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
5	श्री प्रभाकर राव अन्वेषक	कर्मचारी गणना, जनभागीदारी, तथा सोलेशियम, जिला योजना तैयार करना, जिला योजना समिति की बैठक एवं समय समय पर जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
6	श्री हेमंत फुलझले अन्वेषक	स्था/लेखा कार्य का संपादन करना, तथा कोषालयीन आहरण एवं समय समय पर जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
7	श्रीमती नीलु शर्मा सहायक वर्ग-2	स्थापना/स्टेशनरी/स्टोर/टेलिफोन अटेन्डर/ लाईब्रेरी एवं समय समय पर जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।
8	श्री अजय उपाध्याय सहायक वर्ग-3	आवका जावक, जन्म-मृत्यु स्टेशनरी, जन्म-मृत्यु कार्य का कोडींग करना एवं जिला योजना अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य ।

बिन्दु क्रमांक 3



बिन्दु क्रमांक 4 –

कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने, गुणवत्ता, तथा मात्रा संबंधी मापदण्ड तय किये जाने संबंधी जानकारी दी जाये । यदि इस तरह के मापदण्ड तय नहीं हो तो इस दिशा में कार्यवाही विभाग स्तर पर की जाये ।

सीटिजन चार्टर एवं भासन निर्देशानुसार समस्त कार्य शतप्रतिशत गुणवत्ता पूर्वक समय सीमा में पूर्ण किया जाता हैं । विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती हैं ।

बिन्दु क्रमांक 5 –

कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध अधिनियम, नियम, रेगुलेशन, मैनुअल की सूची तैयार की जाए ।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969का सं 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्न लिखित नियम बनाती है ।
नियम 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1999 है ।

(2) ये नियम 1 जनवरी 2000 से पृवत होंगे ।

नियम 2 इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न ले

(क) " अधिनियम " से अभिमत है जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 (1969का सं 18)

(ख) प्रारूप से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्रारूप और

(ग) ' धारा ' से अभिमत है अधिनियम की धारा

क्रमांक 1 घटना घटित होने के 21 दिन के अन्दर

निःशुल्क

क्रमांक 2 नियम 9 (1) घटना घटित होने के 21 दिन के बाद परन्तु 30 दिन के अन्दर ,जन्म-मृत्यु का पंजीयन कराने हेतु दो रूपये के विलंब फीस का भुगतान करने पर किया जा सकेगा ।

क्रमांक 3 नियम 9 (2) घटना घटित होने के 21 दिन के बाद परन्तु 30 दिन के पश्चात किन्तु एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी गई हो, इस निर्मित प्राधिकृत अधिकारी की लिखित अनुशंसा से तथा पांच रूपये की विलंब फीस का भुगतान करने

पर और नोटरी या राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र को पेश किये जाने पर जन्म-मृत्यु का पंजीयन किया जायेगा ।

क्रमांक 4 नियम 9 (3) घटना घटित होने के 21 दिन से एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया गया तो केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 10 रूपये की विलंब फीस का भुगतान करने पर किया जायेगा ।

क्रमांक 5 नियम 10 (1) बिना नाम रजिस्ट्रीकृत जन्म के प्रकरण में माता पिता द्वारा रजिस्ट्रीकरण से 24 के अन्दर पंजीयन कराने हेतु

क्रमांक 6 नियम 10 (1) (II) क ख के अन्तर्गत 24 माह के बाद 15 वर्ष के अन्दर पंजीयन कराने पर पाँच रूपये के विलंब फीस के भुगतान का पर प्रविष्टी हो ।

क्रमांक 7 घटना के निर्धारित समय सीमा 21 दिनों के अन्दर पंजीयन कराने पर सूचना दाता को जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करेगा ।

निःशुल्क

क्रमांक 8	धारा 17 (1) के अन्तर्गत उहरण या अप्राप्त्य तो प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु	
क.	एक वर्ष की एक एन्ट्री की तलाश दो रूपये फीस पर देय होगी	2/-
ख.	प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष की तलाशी दो रूपये फीस पर देय होगी	2/-
ग.	जन्म या मृत्यु की घटना के प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रत्येक प्रति पाँच रूपये देय फीस पर होगी	5/-
घ.	जन्म या मृत्यु की घटना का अप्राप्त्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दो रूपये फीस पर देय होगा	2/-

बिन्दु क्रमांक 6 -

कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा उसका वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाये ।

अ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

ब) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना -
योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

स) जन भागीदारी योजना

योजनान्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यों की सूची

द) लेखा शाखा

1) केशबुक 2) व्हाउचर फाईल

बिन्दु क्रमांक 7 –

ऐसी परामर्षदात्री समितियों की संरचना जिसके सदस्य जनप्रतिनिधि हैं उनके संबंध में वांछित जानकारी जैसे नाम, आदेश क्रमांक, निर्माण संबंधी सर्कुलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी दी जाना है ।

नि रं क

बिन्दु क्रमांक 8 –

कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली बोर्ड, परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं आर्हता, गठन संबंधी आदेश चार्टर/ अनुबंध से संबंधी जानकारी, बैठक आहुत करने संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण की उपलब्धता संबंधी जानकारी दी जाए।

अ) जिला योजना समिति रतलाम के सदस्यों के नाम एवं आर्हता

क्र.	नाम एवं पदनाम	उम्र	जाति	निवास का पता
1	2	4	6	7
1	प्रभारी मंत्री, रतलाम अध्यक्ष जि.यो. समिति			
2	कलेक्टर, जिला रतलाम			1, सिविल लाईन, कलेक्टर निवास रतलाम
3	श्री प्रभु (प्रकाश) राठौड़, सदस्य	39	अपिव	93, दयानंद मार्ग- रतलाम
4	श्री राजेश परमार, सदस्य	39	अपिव	मु.पो. सेमलिया तह.आलोट.
5	श्री थावर, भूरिया – सदस्य	47	अजजा	ग्रा.पो. बिलपांक, तह. रतलाम
6	श्री उँकारलाल पाटीदार-सदस्य	39	अपिव	बालाजी का बाग, ताल तह.-आलोट
7	श्री रूगनाथसिंह आंजना- सदस्य	64	अपिव	ग्रा.पो. माउखेडी तह. पिपलौदा
8	श्री रमेशचन्द्र बोडाना –सदस्य	38	अजा	ग्रा.पो. आलमपुर ठिकरिया तह. जावरा
9	श्रीमती प्रेमबाई आंजना –सदस्य	29	अपिव	ग्रा.पो. माउखेडी तह. पिपलौदा
10	श्री भेरूलाल पाटीदार सदस्य	46	अपिव	ग्रा.पो. धामेडी, तह. पिपलौदा
11	श्री मोती निनामा- सदस्य	39	अजजा	ग्रा.सेलेज डामर पो.-अमरपुरा तह.बाजना
12	श्री जीवनलाल मईडा-सदस्य	39	अजजा	ग्रा. इन्द्रावल कला,पो. सरवन, तह.सैलाना
13	श्री श्यामलाल परमार-सदस्य, पार्षद न.पा. ताल			उपाध्यक्ष, नगर पंचायत ताल
14	श्री अशोक देवडा, सदस्य एवं पार्षद न.पा. नि. रतलाम			सदगुदडी गली, मालीकुआ ि िक्षा विभाग के सामने वाली गली रतलाम
15	श्री महेन्द्र कटारिया, सदस्य एवं पार्षद न.पा. नि. रतलाम		सामान्य	मित्र निवास रोड गीता मंदिर के पास रतलाम
16	श्री राजेन्द्र सिंह पंवार पार्षद न.पा. नि. रतलाम			होटल उकार जी, नगर सुधार न्यास के सामने रतलाम

जिला योजना समिति अधिनियम 2005 में दिये गये निर्देशानुसार प्रति तीन माह में जिला योजना समिति की बैठक प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाती है । जिसमें जिला योजना समिति के सभी गणमान्य, सदस्यों जिले के माननीय सांसदों / विधायकों को आमंत्रित किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 9 एवं 10 –

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम, वेतनमान, उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी दी जाये ।

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय , रतलाम

क्रमांक	नाम कर्मचारी/अधिकारी	पदनाम	मासिक मूलवेतन	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	श्री टी.वाय. पारगी	जिला योजना अधि.	18,600 / –	नियमानुसार
2	श्री रमेश मेहता	सहा. सां. अधिकारी	21,170 / –	----"----
3	श्री सुरेश जोशी	सहा. सां. अधिकारी	20,650 / –	----"----
4	श्री इरफान खान	स्टेनो ग्राफर	14,650 / –	----"----
5	श्री डी.डी. बैरागी	खंड स्त. अन्वेषक	13,200 / –	
6	श्री जगदी I चन्द्र बावरी	खंड स्त. अन्वेषक	11,250 / –	----"----
7	श्री प्रभाकर राव छडीदार	खंड स्त. अन्वेषक	11,580 / –	----"----
8	श्री हेमन्त फुलझेले	खंड स्त. अन्वेषक	11,160 / –	----"----
9	श्री श्रीपाल व्यास	सहा. वर्ग 2	11,220 / –	----"----
10	श्रीमती नीलु शर्मा	सहा. वर्ग 2	10,520 / –	----"----
11	श्री अजय उपाध्याय	सहा. वर्ग 3	9,210 / –	----"----
12	श्री सूर्यकान्त सिंह	वाहन चालक	8,210 / –	----"----
13	श्री कृष्ण सिंह चौहान	भृत्य	6,930 / –	----"----

बिन्दु क्रमांक 11 –

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार, बजट आंवटन, तथा उसके उपयोग संबंधी जानकारी दी जावेगी ।

(अ) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना – यह योजना म.प्र. भासन द्वारा संचालित है । इस योजनान्तर्गत प्रत्येक विधायक महोदय अपने क्षेत्र के विकास हेतु रु. 77.00 लाख तक के कार्यों की अनुशंसा करते हैं, जिसकी स्वीकृती जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रदान की जाकर राशि संबंधित क्रियान्वयन ऐजसी को प्रदान की जाती है

योजनान्तर्गत वर्ष 2008-2009 में प्राप्त आवंटन

(लाख रु. में)

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	मांग संख्या	प्राप्त आवंटन	स्वीकृत राशि 30.09.09
1	2	3	4	5
1	रतलाम नगर	60	77.00	77.00
2	रतलाम ग्रामीण	60	77.00	77.00
3	जावरा	60	77.00	77.00
4	सैलाना	41	77.00	77.00
5	आलोट	64	77.00	77.00
योग			385.00	385.00

(ब) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-

योजनान्तर्गत प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र के विकास हेतु रु 2 करोड केन्द्र शासन द्वारा नोडल कलेक्टर को प्रदान किये जाते हैं । रतलाम जिला तीन संसदीय क्षेत्रों यथा रतलाम -झाबुआ, आलोट -उज्जैन एवं जावरा- मंदसौर । इनके नोडल कलेक्टर क्रमशः उज्जैन, रतलाम एवं मंदसौर है जो सांसद महोदय द्वारा अनुशंसित राशि कलेक्टर महो. रतलाम को प्रदान करते हैं जिससे उनके क्षेत्र के विकास हेतु उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों की स्वीकृती प्रदान की जाती है । वर्ष 2008-09 में नोडल कलेक्टर महोदय द्वारा प्रदाय की गई राशि (आवंटन) निम्नानुसार:-

(लाख रु. में)

क्र.	सांसदीय क्षेत्र/राज्य का क्षेत्र	प्राप्त आवंटन	स्वी.राशि दिनांक 30.09.09 की स्थिति मे
1	आलोट- उज्जैन	17.675	28.759
2	रतलाम - झाबुआ	10.00	12.75
3	जावरा - मंदसौर	26.00	30.907
4	राज्य सभा सदस्य - इन्दौर	5.00	निरंक
5	राज्य सभा सदस्य - धार	11.35	11.35
6	राज्य सभा सदस्य - ग्वालियर	11.56	11.56
7	राज्य सभा सदस्य - मंदसौर	6.56	6.54
8	राज्य सभा सदस्य - भोपाल	7.78	7.73

(स) जनभागीदारी योजना :-

योजनान्तर्गत आदिवासी क्षेत्र सैलाना एवं बाजना में विकास कार्यों हेतु 25 प्रतिशत जनसहयोग की राशि प्राप्त होने पर 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा प्राप्त आबंटन में से कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रदान की जाती है । जब कि सामान्य क्षेत्र के विकास कार्यों हेतु 50 प्रतिशत जनसहयोग की राशि प्राप्त होने पर 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्राप्त आबंटन में से कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रदान की जाती है । वर्ष 2008-09 में योजनान्तर्गत प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि लाख रु. में)

क्र.	मद का विवरण	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि दिनांक 30.09.09 की स्थिति
1	2	3	4
1	60 – सामान्य योजना	105.00	104.69
2	41 – आदिवासी उप योजना	180.00	179.37
3	64 – अनु. जाति विशेषांश योजना	25.00	23.03
	योग	310.00	307.09

(द) म.प्र. विधायक स्वेच्छानुदान योजना 2008-2009 में प्राप्त आबंटन
(राशि लाख रु. में)

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	प्राप्त आबंटन	स्वीकृत राशि 30.09.09
1	2	3	4
1	रतलाम नगर	3.00	3.00
2	रतलाम ग्रामीण	3.00	3.00
3	जावरा	3.00	3.00
4	सैलाना	3.00	3.00
5	आलोट	3.00	3.00
	योग	15.00	15.00

बिन्दु क्रमांक 12 –

विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची, हितग्राहियों के चयन की प्रक्रिया वित्तीय सहायता देने वाली संस्था, वर्षवार आवंटित राशि, तथा हितग्राहियों की संख्या दी जानी हैं तथा इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

निरंक

बिन्दु क्रमांक 13

वास्तविक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाओं की जानकारी।

निरंक

बिन्दु क्रमांक 14—

कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति विभिन्न योजनाओं के दिशा निर्देश, लाभान्वित वास्तविक हितग्राहियों की सूचियां, विभिन्न योजनाओं में किये गये निर्माण कार्यों की सूची आदि उपलब्ध हैं।

बिन्दु क्रमांक 15

आम नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं जैसे पुस्तकालय, पब्लिक काउण्टर आदि।

- उपलब्ध सुविधाएं
- 1) सूचना पट्ट
 - 2) अभिलेखों का निरीक्षण
 - 3) समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से

बिन्दु क्रमांक 16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी दी जाना है।

अपीलीय अधिकारी	श्री महेन्द्र ज्ञानी कलेक्टर रतलाम	कार्यालय कलेक्टर रतलाम	270400 (o) 270401 (fax) 270402(R) dmrat@mp.nic.in
लोक सूचना अधिकारी	श्री टी.वाय. पारगी जिला योजना अधिकारी रतलाम	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रतलाम	270442 dsorat@mp.nic.in
सहायक लोक सूचना अधिकारी	श्री रमेश मेहता सहा. सांख्यिकी अधिकारी रतलाम	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रतलाम	270442

बिन्दु क्रमांक 17—

अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हो तो उस जानकारी का भी अपलेखन किया जाये।

सूचना सहायक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय रतलाम के पास सांसद निधि / विधायक निधि एवं जनभागीदारी योजना से संबंधित मार्गदर्शी निर्देश आदि उपलब्ध हैं जिनसे योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।